रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारतसरकार REGISTERED No. D.L.–33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 9, 2014/आश्विन 17, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 113
No. 128] DELHI, THURSDAY, OCTOBER 9, 2014/ASVINA 17, 1936 [N.C.T.D. No. 113

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानीराज्य क्षेत्र दिल्लीसरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2014

फा.सं. आर. 233 / टी.ओ. (एस.) / टी. सी. फेलिंग / 2014–15 / 5030-37—जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है,

अतः अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डॉ अम्बेडकर नेशनल सेंटर की निर्बाध निर्माण के लिए सामाजिक न्याय जनपथ, प्लॉट–ए, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली तक निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 1.31 हैक्टेयर (लगभग) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (3) के उपबंधों से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

क्रम सं.	स्थान	क्षेत्र का विस्तार (हैक्ट.)	हटाए जाने वाले वृक्षों की संख्या	अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
1.	डॉ अम्बेडकर नेशनल सेंटर के लिए सामाजिक न्याय जनपथ, प्लॉट–ए, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली	1.31 (लगभग)	75 – काटे जाने वाले 16 – प्रत्यारोपण	1200
		कुल योग	**91**	**1200**

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

(क) आवेदक को पाँच वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 38,64,000 रुपये (अड़तीस लाख चौसठ हजार रुपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

परियोजना संख्या	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
1.	1200	रू– 38,64,000	उप–वन संरक्षक (दक्षिणी)/वन अधिकारी

(ख) वन विभाग द्वारा डेरा मन्डी रिज क्षेत्र की वन भूमि में 455 पेड़ों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा तथा उनका पाँच वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा और शेष 745 पेड़ों का उपभोगी संस्था द्वारा निर्माण स्थल के पास प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा तथा सफलतापूर्वक स्थापना के बाद जांच की जाएगी ।

(ग) उप–वन संरक्षक के परामर्श से वृक्षों को काटे जाने के पश्चात् प्राप्त लकड़ी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिल्ली नगर निगम के संबधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए।

(घ वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (दक्षिणी) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव कुमार, सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WIDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 9th October, 2014

F. No. R. 233/TO(S)/TC.Felling/14-15/5030-37.—Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi considers it necessary to do so in the public interest,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11, of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of total 1.31 ha. as detailed below for unhindered construction of Dr. Ambedkar National Centre for Social Justice Janpath, Plot-A, Dr. Rajender Prasad Road, New Delhi by Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India, from the provision of sub-section (3) of Section 9 of the said Act.

Sl. No.	Location	Extent of Area (ha.)	No. of trees required to be Removed / Transplant	Compensatory plantation required (No. of trees)
1	Dr. Ambedkar National Centre for Social Justice Janpath, Plot-A, Dr. Rajender Prasad Road, New Delhi.	1.31 (approx)	Cutting of trees - 75 Transplantation of trees-16	1200
		Total	**91**	**1200**

The exemption is subject to fulfillment of the following conditions:

(a) The applicant shall make an advance deposit of an amount of Rs. 38,64,000 (Rupees Thirty Eight Lakh Sixty Four Thousand Only) for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of 5 (five) years as follows:

Project No.	No. of Saplings to be Planted (No. of trees)	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.)	To be Deposited with Forest Division
I	1200	38,64,000	DCF (South)/Tree Officer

(a) The compensatory plantation will be raised and maintained for 5 (five) years i.e. 745 no. of trees compensatory plantation will be done by the User Agency near construction site and balance 455 no. of trees by the Forest Department at Dera Mandi, Ridge area, New Delhi and to monitor it till its successful establishment.

(b) The wood obtained on removal of trees shall be handed over by the Ministry of Social Justice & Empowerment, GOI to the officials concerned of MCD for its use on public crematoria in Delhi in consultation with the territorial DCF.

(c) Before shifting of wood from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said wood shall be obtained from Tree Officer (South).

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
SANJIV KUMAR, Secy.

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2014

सं.फा. 23(42)/डी.ई./आरटीई/2013–14/1305–1314.—निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर स्थित समस्त विद्यालयों पर लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम की उक्त धारा में यथापरिभाषित "अलाभित समूह का बालक" के अर्थ के भीतर "उभयलिंग" बच्चे को सन्निविष्ट करने के लिए अधिसूचित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

डॉ. मधु रानी तेवतिया, अतिरिक्त सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 9th October, 2014

No. F. DE.23 (42)/DE/RTE/2013-14/1305-1314.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) (RTE Act) the Lieutenant Governor National Capital Territory of Delhi is pleased to notify inclusion of a "transgender" child within the meaning of "child belonging to disadvantaged group" as defined in the said section of the RTE Act applicable to all schools situated within the National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
Dr. MADHU RANI TEOTIA, Addl. Secy. (Education)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.